प्रकरण संख्याः– 07/2023

सुगना देवी सुथार बनाम गणी ब्राहम्ण व अन्य

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14/8/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 07.08.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वाद पत्र प्रस्तुतीकरण के उपरान्त बाद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण दिनांक 12.04.2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 12.04.2024 आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1528 दिनांक 25.06.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादीया, प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6 व 7 के स्वयं के हस्ताक्षर है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 के भाई को सूचना पत्र तामिल है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादीया, प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6 व 7 स्वयं उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 के भाई की उपस्थिति रही। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 14/8/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सुगना देवी पत्नी भैरूलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी वार्ड नम्बर 3 बलीयाखेड़ा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीया

बनाम

1. गणी पुत्री रामेश्वर लाल उर्फ रमेशचन्द्र ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बलीयाखेड़ा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देवीलाल पिता देवा जाति माली आयु वयस्क निवासी बलीयाखेड़ा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रेखा पुत्री रामेश्वर लाल उर्फ रमेशचन्द्र ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बलीयाखेड़ा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजीदेवी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा आयु वयस्क निवासी बलीयाखेड़ा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रिंकू पुत्री रामेश्वर लाल उर्फ रमेशचन्द्र ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बलीयाखेड़ा, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. शान्ता पत्नी नन्दकिशोर पारीक आयु वयस्क निवासी महिला आश्रम, निवार फैक्ट्री के पास, भीलवाड़ा
7. सारिका पत्नी नवीन बोहरा आयु वयस्क निवासी सिन्धु नगर, भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात</u>

प्रकरण संख्या 07/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

14/8/25
(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा